

संशोधित प्रेस विज्ञप्ति

09 अक्टूबर, 2020 को होने वाली सरकारी स्टॉक की नीलामी के लिए 5 अक्टूबर, 2020 को जारी विज्ञप्ति में संशोधन

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022', (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 13,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030', (iii) मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए 'अस्थायी दर वाले सरकारी बांड 2033', और (iv) मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '6.80 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के परिपेक्ष्य में 2,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 9 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।

2. स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

3. नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 09 अक्टूबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां दोपहर 12.00 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां दोपहर 12.00 बजे से मध्याह्न 1.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. नीलामियों के परिणाम की घोषणा 09 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 12 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) को किया जाएगा।

5. ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र सं० आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018 के, तहत जारी "केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार "कब निर्गमित" कारोबार के लिए पात्र होंगे।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली -110001
दिनांक: 06 अक्टूबर, 2020